राजस्थान सरकार
कृषि निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.2 (9) आ.कृ./गो.प्र./16/2016–17/ 2722-2822 दिनांक 22/06/16

आयुक्त सीएडी, कोटा/इं.गां.न.प. बीकानेर ।
निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू सरंक्षण जयपुर।
आयुक्त, उद्यान विभाग, जयपुर ।
निदेशक, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान, जयपुर ।
प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य बीज निगम, जयपुर ।
निदेशक, राज्य स्तरीय कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा जयपुर ।
निदेशक, समेती, राज्य स्तरीय कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा जयपुर ।
समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ।
अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार/अनुसंधान/आदान/समन्वय/एनएमओओपी)
समस्त सयुंक्त निदेशक कृषि(कृषि आयुक्तालय/खण्ड/ अनुसंधान)
समस्त उप निदेशक कृषि विस्तार/अनुसंधान/उद्यान
समस्त सहायक निदेशक कृषि विस्तार/ उद्यान

विषयः– समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष 1 जनवरी 2015 की स्थिति में अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत करने बाबत ।

प्रसंग :–शासन सचिव, कार्मिक (क–1/गो.प्र.)विभाग का पत्र दिनांक 18.05.2016

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंगिक पत्र के क्रम में सभी अधिकारियों को कार्मिक (क–1/गो.प्र.)विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.13(76)/का–1/गो.प्र./2011 दिनांक 13 जनवरी 2016 में वर्णित निर्देशों की पालना सुनिचित की जाने हेतु दिनांक 01.01.16 की स्थिति में अचल सम्पत्ति की सूचना भिजवाने हेतु लिखा गया था, किन्तु आदिनांक तक अधिकांश अधिकारियों की सूचना अपेक्षित है । अब तक प्राप्त सूचनाओं से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके द्वारा इस प्रकरण को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है । विभाग में प्राप्त सूचना कार्मिक विभाग की वैबसाईट पर अपलोड की जा चुकी है अतः उक्त वैबसाईट का अवलोकन कर शेष अधिकारियों की सूचना अविलम्ब वांछनीय है।

उल्लेखनीय है कि शासन सचिव, कार्मिक (क–1/गो.प्र.)विभाग के प्रासंगिक पत्र से स्पष्ट है कि जो राजपत्रित अधिकारी अपना अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत नहीं करेंगे उनकी विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं दिये जाने, पदोन्नति पर विचार नहीं किये जाने एवं अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त आगामी वेतनवृद्धि स्वीकृत न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः समस्त राजपत्रित अधिकारियों की अचल सम्पत्ति की सूचना 7 दिवस में संकलित कर भिजवाना सुनिश्चित करने का श्रम करावे । वांछित सूचना के अभाव में संबंधित को विजीलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जायेगी, एवं वार्षिक वेतनवृद्वि पर विचार नहीं किया जा सकेगा। यदि सूचना के अभाव में वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं की जावे । संबंधित आहरण वितरण अधिकारी वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने से पूर्व संबंधित अधिकारियों के अचल सम्पत्ति की सूचना प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

(सोमेन्द्र शर्मा)
सयुंक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)